2022/297

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अबुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस.

GCMS No. 2022/297

प्रकरण संख्या 128 / 2022 वाद

श्री मोहनलाल पिता श्री कन्हैयालाल जैन, आयु वयस्क, निवासी मालियावास उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. भीम सिंह पिता श्री खुमाण सिंह राजपुत, आयु वयस्क, निवासी जगदीश चौक उदयपुर (राज.) हाल निवासी ग्राम देबारी, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र मेनारिया अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 20.01.2026

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजस्व ग्राम नला फला पटवार क्षेत्र जिंक स्मेल्टर तहसील कुराबड़ के आराजी नम्बर 374मी. रकबा 0.0300 हैक्टैयर का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 13 / 24 एवं प्रतिवादी संख्या एक का 11 / 24 वॉ हिस्सा अंकित है। उसी अनुसार संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादी उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या एक कृषि भूमि का बिना बंटवाड़ा कराये भूमि के उपयोग उपभोग में धनबल एवं बाहुबल से लगातार दखलअंदाजी कर रहा है तथा आराजीयात पर बिना रूपान्तरण के अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण कराने पर आमादा है। जिससे उक्त भूमि को सहखातेदारी में रखना सम्भव नहीं है, इसलिए वादी अपनी भूमि को अलग कराना चाहता है।

अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य वादग्रस्त आराजीयात का जरिये मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कराया जाकर लगान का भी बराबर बराबर बटवारा कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे तथा प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थाई निषेद्याज्ञा पारित फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 128/2022 वाद
अनवान मोहनलाल बनाम भीमसिंह
अन्तिम डिक्री, निर्णय 53, 188 RTA

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2025 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार कुरावड़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार कुराबड द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांक: राजस्व ए/2025/1035 दिनांक 01.12.2025 से बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट पर वादी एवं प्रतिवादीगण को प्रर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद किसी भी आपति नही की गई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रस्तुत बंटवाड़ा रिपोर्ट पर सहमत है।

अतः उभयपक्ष बंटवाडा रिपोर्ट पर सहमत होने से तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार :–

1– मोहनलाल पिता कन्हैयालाल जैन सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
374/1	0.0162	0.19
किता 1	रकबा 0.0162	लगान 0.19

2– भीमसिंह पुत्र खुमाण सिंह सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
374/2	0.0138	0.17
किता 1	रकबा 0.0138	लगान 0.17

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य मौजा राजस्व ग्राम नला फला पटवार क्षैत्र जिंक स्मेल्टर तहसील कुराबड़ के आराजी नम्बर 374मी. रकबा 0.0300 हैक्टैयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाते है कि बंटवारा फहरिस्त की कलम संख्या 1 में वादी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें उक्त कार्य न तो स्वंय करें न ही अपने नौकर, एजेन्ट परिवारजन आदि से करावे। तहसीलदार कुराबड़ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(ए. सांई कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा– उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 128/2022 वाद
उन्वान मोहनलाल बनाम भीमसिंह
अन्तिम डिक्री निर्णय [illegible]

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.स.)

[illegible] उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर [illegible] अधिकारी अतुल साईं कृष्ण, आई.ए.एस. मुकदमा 128/2022 सन 2022 [illegible] श्री मोहनलाल पिता श्री कन्हैयालाल जैन, आयु वयस्क, निवासी [illegible], उदयपुर जिला उदयपुर (राज.) बनाम (1) भीम सिंह पिता श्री खुमाण [illegible], आयु वयस्क, निवासी जगदीश चौक उदयपुर (राज.) हाल निवासी [illegible], तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (2) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार [illegible], जिला उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने अतुल साईं कृष्ण, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री महेन्द्र मेनारिया की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

1– मोहनलाल पिता कन्हैयालाल जैन सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
374/1	0.0162	0.19
किता 1	रकबा 0.0162	लगान 0.19

2– भीमसिंह पुत्र खुमाण सिंह सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
374/2	0.0138	0.17
किता 1	रकबा 0.0138	लगान 0.17

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य मौजा राजस्व ग्राम नला फला पटवार क्षैत्र जिंक स्मेल्टर तहसील कुराबड़ के आराजी नम्बर 374मी. रकबा 0.0300 हैक्टैयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाते है कि बंटवारा फहरिस्त की कलम संख्या 1 में वादी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें उक्त कार्य न तो स्वंय करें न ही अपने नौकर, एजेन्ट परिवारजन आदि से करावे। तहसीलदार कुराबड़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि..............आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख .... माह .... सन् .... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....

उपखण्ड अधिकारी

पद ....गिर्वा, उदयपुर